न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या–62/2013–14

अनिल कुमार सिंह बनाम राज्य एवं अन्य

(Under Section 8 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
20/7/18	**आदेश** यह पुनरीक्षण वाद दाखिल खारिज अपील वाद सं0 133/2011–12 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, पालीगंज के द्वारा दिनांक 05.08.2013 को पारित आदेश के विरूद्ध लाया गया है। इस वाद के पक्षकार निम्न प्रकार है प्रथम पक्ष अनिल कुमार सिंह, पिता राजवंशी सिंह, ग्राम–राघोपुर, थाना–रानी तालाब, जिला–पटना द्वितीय पक्ष 1. बिहार राज्य 2. राजवंशी सिंह, पिता स्व0 राम पूजन सिंह 3. रामायण सिंह, पिता स्व0 राम पूजन सिंह 4. शम्भु नाथ सिंह, पिता स्व0 राम पूजन सिंह 5. विनोद बिहारी सिंह, पिता स्व0 राम पूजन सिंह 6. सिद्धनाथ सिंह, पिता स्व0 राम पूजन सिंह, सभी ग्राम–राघोपुर, थाना–रानीतालाब, जिला–पटना इस न्यायालय में वाद की प्रविष्टी के पश्चात विपक्षीगण को सामान्य एवं निबंधित नोटिस की गयी। सामान्य एवं निबंधित नोटिस के पश्चात विपक्षीगण के उपस्थित नहीं होने की स्थिति में दिनांक 23.02.2017 के दैनिक भाष्कर समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित करायी गयी। समाचार पत्र में सूचना प्रकाशन के बाद भी विपक्षीगण के उपस्थित नहीं होने की स्थिति में एक पक्षीय सुनवाई की गयी। **आवेदक का कहना है कि** (1) विवादित भूखण्ड उन्हें दिनांक 08.09.2010 के पारिवारिक बंटवारा में हिस्सा में मिली थी। उक्त बंटवारानामा के आधार पर अंचलाधिकारी, बिक्रम को दाखिल खारिज हेतु आवेदन दिया गया। दाखिल खारिज वाद सं0 97/2011–12 के अन्तर्गत अंचलाधिकारी, बिक्रम के द्वारा राजस्व कर्मचारी से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। राजस्व कर्मचारी के द्वारा दखल कब्जा संबंधी प्रतिवेदन समर्पित किये जाने के बाबजूद अंचलाधिकारी, बिक्रम के द्वारा दाखिल खारिज का आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया। (2) दाखिल खारिज वाद सं0 97/2011–12 में पारित आदेश के	

विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्ता, पालीगंज के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील वाद सं0 133/2011–12 दायर किया गया। भूमि सुधार उप समाहर्ता, पालीगंज के द्वारा तथ्यों की अनदेखी करते हुए, दाखिल खारिज नियमों का उल्लघंन करते हुए अपने दिनांक 05.08.2013 के आदेश से अपील अस्वीकृत कर दी गयी।

(3) पारिवारिक सम्पति को लेकर एक स्वत्व वाद सं0 40/2011 व्यवहार न्यायालय, दानापुर में विचाराधीन है। प्रश्नगत भूखण्ड उक्त स्वत्व वाद में सन्निहित नहीं है।

(4) आवेदक के पिता राजवंशी सिंह (विपक्षी सं0 2) के द्वारा दिनांक 13.11.2015 के निबंधित केवाला से कुछ भूखण्ड मीना देवी एवं लालसा देवी को बेची गयी है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि आवेदक के पिता दिनांक 08.09.2010के बंटवारानामा को मानते है।

(5) दाखिल खारिज अपील वाद सं0 133/2011–12 में दिनांक 05.06.2013 को पारित आदेश को अवैध बताते हुए, उसे निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

आवेदक के द्वारा निम्न कागजात की छाया प्रति दाखिल की गयी है।

(1) दिनांक 08.09.2010 का बंटवारानामा

(2) टाईटिल सूट सं0 40/2011 की याचिका

(3) दाखिल खारिज वाद सं0 97/2011–12 का दिनांक 21.09.2011 का आदेश फलक

(4) दिनांक 13.11.2015 का वसीका

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा उपलब्ध कराये गये कागजात एवं निम्न न्यायालय के आदेश के परिशीलन के पश्चात निम्न तथ्य सामने आते हैं।

(1) आवेदक ने दिनांक 08.09.2010 के बंटवारानामा के आधार पर दाखिल खारिज हेतु आवेदन दिया, परन्तु आवेदक के पिता एचं चाचा के द्वारा अंचलाधिकारी, बिक्रम के समक्ष लिखित आपति जतायी गयी, जिसके फलस्वरूप अंचलाधिकारी, बिक्रम के द्वारा दाखिल खारिज का आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया।

(2) पिता एचं चाचा के द्वारा अंचलाधिकारी, बिक्रम को यह भी लिखित रूप में बताया गया कि पारिवारिक सम्पति को लेकर स्वत्व वाद सं0 40/2011 चला रहा है।

बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा–6(11) के अनुसार न्यायालय अथवा निबंधित विलेख से अन्यथा, बंटवारा के आधार पर दाखिल खारिज का दावा स्वीकृत नहीं किया जायेगा जब तक सभी हिस्सेदारों की बंटवारा के लिए सहमति नहीं हो।

धारा 6 (12) के अनुसार होल्डिंग या उसके भाग के दाखिल खारिज के वैसे मामलों में स्वीकृति नहीं दी जाएगी, जिसमें होल्डिंग या उसके भाग के संबंध में, सक्षम न्यायालय में स्वत्व वाद लंबित है।

बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 के उपर्युक्त प्रावधानों के आलोक में अंचलाधिकारी, बिक्रम के द्वारा दाखिल खारिज का आवेदन अस्वीकृत किया गया, जो पूर्णतः विधि सम्मत है।

अंचलाधिकारी, बिक्रम के आदेश के विरूद्ध दायर अपील सं0 133/2011–12 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, पालीगंज के द्वारा बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के आलोक में अपील अस्वीकृत कर दी गयी। भूमि सुधार उप समाहर्ता, पालीगंज के द्वारा दिनांक 05.08.2013 को पारित आदेश उचित एवं विधि सम्मत है। उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

पुनरीक्षण आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

30/7/18

(वज़ैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना

30/7/18

(वज़ैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना